



426/11

दूरभाष - 2286709

2286710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

दिनांक : 05 नवम्बर 2015

पत्रांक : 3100 / 05 / 76 / एक / 2015-16
सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-बाराबंकी।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	21949049816	IFSC Code ALLA 0212155	109.404

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	वस्ती / वार्ड का नाम	प्रथम किरत की धनराशि का प्रेषण
1	बाराबंकी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० नवाबगंज	मो० बड़ेल लखपेड़ा में जोय भवन से मोहम्मद मुरिलम के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.408
2	बाराबंकी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० नवाबगंज	मो० बड़ेल लखपेड़ावाग में डा० कमाल के घर से मरिजद होते हुये मो० जलील के घर तक, सिंध राज के घर से हर भजन सिंह सरदार के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.387
3	बाराबंकी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० नवाबगंज	मो० बड़ेल लखपेड़ावाग में मरिजद से लेकर कयूम के घर होते हुये पुलिया तक, इरमाईल के घर से मो० सिराज के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.454
4	बाराबंकी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० नवाबगंज	मो० बड़ेल लखपेड़ावाग में लखपेड़ावाग जलालपुर रोड से अब्दुल कादिर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.510
5	बाराबंकी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० नवाबगंज	मो० बड़ेल के मो० लखपेड़ावाग में जिन्द बाबा के मजार से जफर मारटर के घर होते हुये तस्सों के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.203
6	बाराबंकी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० नवाबगंज	मो० बड़ेल के मो० लखपेड़ावाग में डा० अंसारी के मकान से चौकी वाली मरिजद तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.123
7	बाराबंकी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० नवाबगंज	बड़ेल (लखपेड़ावाग) में लखपेड़ा वाग मेन रोड से शशीकान्त के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.572
8	बाराबंकी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० नवाबगंज	बड़ेल (लखपेड़ावाग) में कुमार स्टेशनर्स से राजेन्द्र राय के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.904
9	बाराबंकी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० नवाबगंज	बड़ेल (गयास नगर) में हैदरगढ़ मेन रोड पर हाफिज के मकान से होते हुये इब्राहिम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.921



426/2

दस्तावेज- 2286709

2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
10	वाराबंकी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० नवाबगंज	बडेल (गयास नगर) में मोल्हे के मकान से मो० उरामान व आविद अली के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.003
11	वाराबंकी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० नवाबगंज	नवीगंज बंदना रोड पर छंगालाल यादव के घर से हाजी साहब के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.246
12	वाराबंकी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० नवाबगंज	दशहरावाग पंचम दास कुटी के पास से पटेल स्कूल जाने वाली सड़क पर सड़क के किनारे नाली निर्माण कार्य।	9.673
	योग				109.404

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना गेनना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना-न्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शाराकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुरांगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- उक्त धनराशि डूबा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजना-न्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की देरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



426/3

दूरभाष- 2286709
2286710

नया योजना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त/नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त/नियन्त्रक